e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498

ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा(केवल महिलाओं हेतु)–2014

ijh{kk lapkyu ,oa HkrhZ fu;e

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि			01.10.2014
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि			30.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि			31.10.2014
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि			09.11.2014
परीक्षा दिनांक व दिन			07.12.2014 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	एक परीक्षा हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रु. 500/–
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए :–	रु. 250/–
	दो परीक्षा हेतु	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रु. 700/–
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए :–	रु. 350/–
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/– देय होगा।			

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
पर्यवेक्षक (महिला) (खुली सीधी भर्ती) 07.12.2014 (रविवार)	प्रातः 09:00 बजे से	प्रातः 09:00 से 09:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 09:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:10 बजे	प्रातः 09:10 से 09:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 09:15 से 12:15 बजे तक (3:00 घंटे)
पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनबाडी कार्यकर्ता से सीमित (सीधी भर्ती) 07.12.2014 (रविवार)	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:10 बजे	दोपहर 02:10 से 02:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 02:15 से 05:15 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. **ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**
5. **परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।**
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा** अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी।

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा(केवल महिलाओं हेतु)–2014

fo"k; lwph

Øa-	fooj.k	i"B Øa-
1.	v/;k;&1 – संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा(केवल महिलाओं हेतु)–2014 हेतु विभागीय नियम	3–8
2.	v/;k;&2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	9–16
3.	v/;k;&3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	17–20
4.	iz:i&1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	21
5.	iz:i&2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	22

v/;k; & 1

lapkyuky; ,dhd`r cky fodkl lsok ds vUrxZr i;Zos{kd ¼efgyk½ lh/kh HkrhZ ,oa i;Zos{kd ¼efgyk½ vkaxuokM+h dk;ZdrkZ ls lhfer lh/kh HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk¼doy efgykvksa gsrq½&2014 ds foHkkxh; fu;e

1-1 **lkekU; %&**

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल के पत्र क्रमांक/ए0बी0वि0से0/स्था0/2014/3382 दिनांक 20.02.2014 के अनुसार संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा(केवल महिलाओं हेतु)–2014 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे।

1-2 **ifjHkk"kk,a %&**

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश शासन, संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(ई) ''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 **inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&**

¼d½ inuke & i;Zos{kd ¼efgyk½ ¼lh/kh HkrhZ½] osrueku :- 5200&20200$:- 2400 xzsM ia

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

¼ii½ vkj{k.k rkfydk ¼[kqyh lh/kh HkrhZ ds dqy 399 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल ओपन	विकलांग ओपन	योग
1.	अनारक्षित	200	13 (अस्थिबाधित)	213
2.	अनुसूचित जाति	70	04 (अस्थिबाधित)	74
3.	अनुसूचित जनजाति	60	04 (अस्थिबाधित)	64
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	45	03 (अस्थिबाधित)	48
	egk;ksx %&	375	24	399

ukV%& 1- iq:"k vH;FkhZ ik= ugha gSA

2- fodykax dksV ds lHkh in vfLFkckf/kr Js.kh ds fy, vkjf{kr gSA 'ks"k fodykax Js.kh ds vH;FkhZ viuh lacaf/kr Js.kh ds fcuk oxZ ds mYys[k ds inks gsrq vkosnu izLrqr dj ldrs gSA

3- U;wure 'kS{kf.kd vgZrk vkosnu fnukad rd iw.kZ gksuk vfuok;Z gSA

4- foHkkxh; esa osrueku esa dk;Zjr lafonk i;Zos{kd dks mDr ijh{kk esa lfEefyr gksus gsrq vk;q lhek dk c/ku ugha gksxkA

5- foHkkx e orZeku dk;Zjr· lfonk i;Zos{kdk dk mDr ijh{kk e Hkkx yu ij iR;d dk;Zo"kZ i.kZ djus d fy;s pkj vd vfrfjDr fn;s tk;xs rFkk ikp o"kZ ;k mlls vf/kd dk;Z d vuHko d fy;s vf/kdre 20 vd fn;s tk;xA 0;kie }kjk ijh{kk d mijkUr rS;kj efjV e vuHko d vd tkMus dk dk;Z lcf/kr foHkkx }kjk fd;k tk;xkA rRi'pkr· vfre efjV rS;kj dj foHkkx }kjk fu;fDr dh dk;Zokgh dh tk;xhA vuHko d vfrfjDr vd ikIr djus dh ik=rk dk;Zoy orZeku e foHkkx e ¼ijh{kk fnukd dk½ dk;Zjr· lfonk i;Zos{kdk dk gh gksxhA

¼[k½ inuke & i;Zos{kd ¼efgyk½ vkxuokMh dk;Zdrk l s lhfer ¼lh/kh Hkrh½] orueku :- 5200&20200$:- 2400 xM i

¼i½ U;ure 'kS{kf.kd vgZrk %&

हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 (बारहवी) एवं ऑगनवाडी कार्यकर्ता पद पर निरन्तर पूर्ण 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

¼ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 243 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल ओपन	विकलांग ओपन	योग
1.	अनारक्षित	113	07 (अस्थिबाधित)	120
2.	अनुसूचित जाति	50	03 (अस्थिबाधित)	53
3.	अनुसूचित जनजाति	36	02 (अस्थिबाधित)	38
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	30	02 (अस्थिबाधित)	32
	egk;kx %&	**229**	**14**	243

ukV%& 1- i:"k vH;Fkh ik= ugh gA

2- fodykx dkV d lHkh in vfLFkckf/kr J.kh d fy, vkjf{kr gA 'k"k fodykx J.kh d vH;Fkh viuh lcf/kr J.kh d fcuk oxZ d mYyf[kr ink gr vkonu iLrr dj ldr gA

3- U;ure 'kS{kf.kd vgZrk@vuHko vkonu fnukd rd i.kZ gkuk vfuok;Z gA

1-4 ukxfjdrk ,o LFkkbZ fuokl h d lca/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

(i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1-5 e/;in'k d LFkkbi fuoklh vkondk d fy, vk;| lhek %&

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल के पत्र क्रमांक/ए0बा0वि0से0/स्था0/2014/3382 दिनांक 20.02.2014 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयुसीमा की गणना निम्नानुसार है :–

स.	आवेदक एवं श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	महिला आवेदक (सामान्य/अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
2.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
3.	महिला आवेदक (सामान्य/अनारक्षित वर्ग) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
4.	महिला आवेदक (आरक्षित–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वग) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
5.	ग्रीन कार्ड धारी अभ्यर्थी	45 वर्ष
6.	विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाडी	45 वर्ष

1-5-2 e/;in'k d LFkkbi fuoklh vkondk ikkRlkgu Lo:i nh tku okyh NV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-5-3 e/;in'k d LFkkbi fuoklh vkondk dh vk;| lhek d lc/k e vU; fooj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

¼?k½ lkekU; iz'kklu foHkkx ds Kki Øekad 50&2532&¼3½ 80 fnukad 12-02-1981 ,oa Øekad ,Q 8&1@06@vk0iz0@,d fnukad 12-06-2006 }kjk lsok ;kX; fu%'kDr tuksa dks ¼U;wure 40 izfr'kr fu%'kDrrk okys 'kkjhfjd :i ls fu%'kDr 0;fDr½ fu/kkfjr vk;q lhek esa 10 o"kZ dh NwV inku dh xbZ gSA

स्पष्टीकरण :— शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ङ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति—रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345—4005—सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप— (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग—पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dksbZ vkosnd izksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwVksa esa ls fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV ds ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dks 'kkfey djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh izoxZ ds fy, vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

1-6 p;u dk vk/kkj %&

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पृथक–पृथक प्रश्नो पत्रो हेतु 100 –100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयावधि का प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न–पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय–3 देखें।

1-7 izkoh.;@izrh{kk lwph %&

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1-8 ikjLifjd ofj";rk %

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1-9 lR;kiu@ijh{k.k ds le; vko';d izek.k&i=ksa dk fooj.k %&

1-9-1 LFkkbZ fuoklh izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र धारक होना चाहिए।

1-9-2 tkfr izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1-9-3 fodykax izek.k&i= %&

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विकलांग संवर्ग के उम्मीदवार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।

1-9-4 आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद का 05 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र।

1-10 nLrkostksa@izek.k&i=ksa dk ijh{k.k o pfj= lR;kiu %

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

foHkkx }kjk pkgs x, leLr izi=@nLrkost@izek.k&i= e/;izns'k 'kklu ds lkekU; iz'kklu foHkkx }kjk tkjh fu/kkZfjr izk:i vuqlkj vH;FkhZ }kjk fu;qfDr@lR;kiu@ijh{k.k ds le; lacaf/kr foHkkxksa ds le{k izLrqr djuk gksxkA

1-11 vH;fFkZrk@p;u ds laca/k esa fugZrk,¡@tkudkjh %&

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

(ग) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(घ) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(ड) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(च) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

(छ) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात्, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

1-12 fu;qfDr dh 'krsZ %

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1-13 ;k=k HkRrk dk Hkqxrku %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने पर संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल द्वारा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

1-14 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

————0————

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

egRoi.k fun'k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vkuykbu vkonu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(1) oclkbV www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) खुली सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती के पदों हेतु पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात एक प्रश्न पत्र हेतु अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के (मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों) अभ्यर्थियों द्वारा रू. 250/– एवं दो प्रश्न पत्र हेतु अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों/निःशक्तजन (मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों) द्वारा रू. 350/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो काई)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vkuykbu vkonu&i= d lkFk lyXu fd; tku oky nLrkotk dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित

श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

(इ) आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद का 05 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र।

2-5 ,d ls vf/kd vkuykbu vkosnu&i= Hkjus lEc/kh funsZ'k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 vkuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lEc/kh funsZ'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ <u>vkosnu Hkjus dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QksVksxkQ ij f[kpokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA</u>

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-7 <u>vkuykbu vkosnu Hkjus ds lEc/k esa funsZ'k %</u>

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 30.10.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkosnd }kjk Hkjs tkus okys vkosnu i= esa jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehuw ds ek/;e ls ikIr gksxkA ftlls Hkfo"; esa vkos';drkuqlkj jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh ikIr dh tk ldsA igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox ykbZlsal] QksVks;qDr vadlwph rFkk iklikVZ dk iko/kku j[kk x;k gS ;fn vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkost dkSu lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

bVjuV ds ek/;e ls vkWuykbu vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनवाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा(केवल महिलाओ हेतु)–2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funs'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-2-5 bUVjusV cSfdax ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-3 ,e-ih- vkWuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukssV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkuykbu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई. डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-9 vkuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 ijh{kk izos'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया

गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

iosa'k&i= izkIr djus dh izfØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	भोपाल
2.	ग्वालियर
3.	इन्दौर
4.	जबलपुर
5.	रीवा
6.	सागर
7.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2-12 ijh{kk 'kqYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क एक प्रश्न पत्र हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी/निःशक्तजन के लिये रु. 250/– दो प्रश्न पत्र हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 700/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी/निःशक्तजन के लिये रु. 350/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

2-13 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	परीक्षा	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	पर्यवेक्षक (महिला) (खुली सीधी भर्ती)	07.12.2014 (रविववार)	रविवार	03 घंटे	प्रातः 09:00 बजे से 12:15 बजे तक	200
2.	पर्यवेक्षक (महिला) ऑगनबाडी कार्यकर्ता से सीमित (सीधी भर्ती)	07.12.2014 (रविववार)	रविवार	03 घंटे	दोपहर 02:00 बजे से 05:15 बजे तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

ukV%&1- i;Zos{kd ¼efgyk½ ¼[kqyh lh/kh HkrhZ½ dh in gsrq ikB~;Øe eqU;rk iqfLrdk fo'ofo|ky; ls Lukrd Lrj dk gksxkA

2- i;Zos{kd ¼efgyk½ vkWxuckMh dk;Zdrkk ls lhfer ¼lh/kh HkrhZ½ dh in gsrq ikB~;Øe gk;j lsd.Mjh vFkok 10$2 ¼ckjgoha½ Lrj dk gksxkA

2.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा । विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :—

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :—

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4- कोई भी विकल्प सही न हो।
5- यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :— सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :—

प्रश्न—पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप—2 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न—पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ—साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ—साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय—1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-21 vad lwph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-22 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk eaMy dk dk;Z ijh{kk dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-23 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

(क) पर्यवेक्षक – सीधी भर्ती – स्नातक स्तर (कुल अंक 200)

प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य			
क्र.	विषय	उप विषय	अंक –55
1	पोषण	संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएण्टस (कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे– आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक विटामिन्स तथा कैल्सियम) की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम,	10
2	जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व	किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात, शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क	08
3	गर्भवती की देखभाल	गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरो से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जॉच	07
4	टीकाकरण	राष्ट्रीय टीकाक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव	08
5	स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम	एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अंतर्गत संचालित योजनाएं–	06
6	कुपोषण	जन्म के पूर्व – कारण एवं संरक्षण के उपाय जन्म के बाद–कारण एवं संरक्षण के उपाय	08
7	सामान्य बीमारियों की जानकारी	दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, कालीखांसी, टी.बी., निमोनिया,	08
		कुल योगः–	55

द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति			
क्र.	विषय	उप विषय	अंक –55
1	सामान्य ज्ञान विभागों की योजनायें	महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाऐं स्वास्थ्य विभाग की योजनायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाऐं सामाजिक न्याय विभाग की योजनाऐं आदिवासी विकास विभाग की योजनाऐं	10
२	नियम अधिनियम एवं अधिकार,	बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम	10
3	शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान	पाचन तंत्र, ग्रन्थियॉ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार	08

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

(क) पर्यवेक्षक – सीधी भर्ती – स्नातक स्तर (कुल अंक 200)

4	कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	एम.एस.ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाईल संचालन का ज्ञान	07
5	सामान्य गणित 8 वीं	सामान्य अंक गणित ,दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना	10
6	सामान्य तर्कशक्ति	सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति	10
		कुल योगः–	55

तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण

क्र.	विषय	उप विषय	अंक–45
1	संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित दो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	....	12
2	विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां– पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार,	....	10
3	नेतृत्व विकास– नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस– समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क	....	08
4	सम्प्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध	....	07
5	सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन– समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन	....	08
		कुल योगः–	45

चतुर्थ खंड शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा

क्र.	विषय	उप विषय	अंक–45
1	बाल विकास का परिचय	बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रि–नेटल विकास, प्रथम तीन वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास	12
2	शाला पूर्व शिक्षा परिचय	शाला पूर्व शिक्षा–अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रकिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास , भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौन्दर्य बोध का विकास	12
3	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम	10
4	बाल देखभाल एवं संरक्षण	बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	11
		कुल योगः–	45

अध्याय – 3
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

(ख) पर्यवेक्षक – सीमित सीधी भर्ती (ऑगनबाडी कार्यकर्ता) – हायर सेकेण्डरी स्तर (कुल अंक 200)

प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य			
क्र.	विषय	उप विषय	अंक –55
1	पोषण	संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएण्टस (कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे– आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक विटामिन्स तथा कैल्सियम) की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम,	10
2	जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व	किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात, शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क	08
3	गर्भवती की देखभाल	गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरो से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जॉच	07
4	टीकाकरण	राष्ट्रीय टीकाक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव	08
5	स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम	एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अंतर्गत संचालित योजनाएं–	06
6	कुपोषण	जन्म के पूर्व – कारण एवं संरक्षण के उपाय जन्म के बाद–कारण एवं संरक्षण के उपाय	08
7	सामान्य बीमारियों की जानकारी	दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, कालीखांसी, टी.बी., निमोनिया,	08
		कुल योगः–	55

द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति			
क्र.	विषय	उप विषय	अंक –55
1	सामान्य ज्ञान विभागों की योजनायें	महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाऐं स्वास्थ्य विभाग की योजनायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाऐं सामाजिक न्याय विभाग की योजनाऐं आदिवासी विकास विभाग की योजनाऐं	10
२	नियम अधिनियम एवं अधिकार,	बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम	10
3	शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान	पाचन तंत्र, ग्रन्थियॉ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार	08

अध्याय – 3

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

(ख) पर्यवेक्षक – सीमित सीधी भर्ती (ऑगनबाडी कार्यकर्ता) – हायर सेकेण्डरी स्तर (कुल अंक 200)

4	कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	एम.एस.ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाईल संचालन का ज्ञान	07
5	सामान्य गणित 8 वीं	सामान्य अंक गणित ,दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना	10
6	सामान्य तर्कशक्ति	सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति	10
		कुल योगः–	55

तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण

क्र.	विषय	उप विषय	अंक–45
1	संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित दो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	....	12
2	विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां– पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार,	....	10
3	नेतृत्व विकास– नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस– समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क	....	08
4	सम्प्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध	....	07
5	सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन– समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन	....	08
		कुल योगः–	45

चतुर्थ खंड शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा

क्र.	विषय	उप विषय	अंक–45
1	बाल विकास का परिचय	बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रि–नेटल विकास, प्रथम तीन वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास	12
2	शाला पूर्व शिक्षा परिचय	शाला पूर्व शिक्षा–अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रकिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास , भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौन्दर्य बोध का विकास	12
3	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम	10
4	बाल देखभाल एवं संरक्षण	बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	11
		कुल योगः–	45

<u>ik:i&1</u>

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

i:'u&ifLrdk d: i:'uk: d: lc/k e: vH;konu

¼ukV& ;g i:i= dsoy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd
e.My dk;ky; e: miyC/k djku: ij fopkj {k= e: fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i:'u Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d : i e: iLr r nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................

स्थान ....
दिनांक ....

ik : i&2

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn’k mRrjk ij vkifRr gr vH;konu

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekd	vkn'k dt h e inf'kr mRrj	vH;Fkh d vu lkj mRrj	mRrj d leFku e iLrr nLrkot dk fooj.k	l yXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

lgefr i=ek.k&i=

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk lapkyuky; ,dhd`r cky fodkl lsok dh vUrxZr i;Zos{kd ¼efgyk½ lh/kh HkrhZ ,oa i;Zos{kd ¼efgyk½ vkxuokMh dk;ZdrkZ ls lhfer lh/kh HkrhZ gsrq lh;qDr p;u ijh{kk¼ckoy efgykvksa gsrq½&2014 ds fy, rS;kj dh xbZ fu;eiqfLrdk esa mYysf[kr iqfyl foHkkx ls lacaf/kr leLr fu;e o tkudkjh dh iqf"V o lgefr inku dh tkrh gSA rS;kj fu;eiqfLrdk ds vuqlkj ijh{kk vk;kstu esa foHkkx dks dksbZ vkifRr ugha gS rFkk ijh{kk vk;kstu ds lac/k esa foHkkx viuk iw.kZ lg;ksx inku djsxkA

rnuqlkj ;g lgefr i=ek.k&i= lR;kfir@gLrk{kfjr dj inku fd;k tkrk gSA

Hkkikiky] fnukad %

lR;kiudrkZ vf/kdkjh ds gLrk{kj
uke %&--
inuke %&--
lhy %&---

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&